संख्या-5/235/84-2-2013-सीपी 5/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 04 सितम्बर,2013

विषय सिविल मिस रिट याचिका संख्या - 35682/2012 गिरिजा सुवन पाण्डेय बनाम उ.प्र. शासन एवं अन्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-797/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 08/08, दिनांक 31 मई, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गिरिजा सुवन पाण्डेय, रीडर ने राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश संख्या-920/ एससीडीआरसी/अधि 08/08, दिनांक 28.06.2012 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका योजित की गयी है। आयोग के उक्त आदेश के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-7-2012 के अनुपालन में अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली को निरस्त करने का आदेश भी आपके (नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा स्व स्तर से निर्गत किया गया है। अत: कृपया प्रश्नगत रिट याचिका में प्रभावी पैरवी अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in